

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022

जयपुर, दिनांक : 13 अप्रैल, 2023

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम (प्रति संलग्न) में उल्लेखित राज्य के 12 जिलों के नगरीय निकायों में 14 सदस्यों के उप चुनाव माह अप्रैल-मई, 2023 के लिये मतदान दिनांक 07.05.2023 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात् दिनांक 05.05.2023 को सांय 05.00 बजे से दिनांक 07.05.2023 को सांय 05.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

sd/-

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 4(2)(3)नपा/रानिआ/ 2022/ 1351

दिनांक : 13/04/2023

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, जयपुर, कोटा, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर एवं टोंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अपर्णा शर्मा)

सहायक सचिव